

क्रमांक- एफ 2 (ग) (च.वे.मा.)/79-III/अलेसे-1/1084-85 दिनांक-28-07-2011

कार्यालय आदेश संख्या 84/2011-12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 11 (7) एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में श्री नोरतमल प्रजापति, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 19.07.1954 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 23.10.1980 को कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होंने 27 वर्ष एवं अधिक की सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, इन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण दिनांक 23.10.07 के स्थान पर दिनांक 23.10.08 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. वेतनमान पे-ग्रेड 3300-34800 एवं ग्रेड-पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

श्री नोरतमल प्रजापति, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री नोरतमल प्रजापति, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88) एफडी(नियम) 2008-1 दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे-ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है।

निदेशक

क्रमांक- एफ 2 (ग) (च.वे.मा.)/79-III/अलेसे-1/1084-85 दिनांक-28-07-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कोषाधिकारी अजमेर।
2. श्री नोरतमल प्रजापति, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय कोषाधिकारी अजमेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)